न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 418 / 2026
किशनपुर थाना कांड सं0– 242 / 2024

29/04/26	**1. अमिषा भारती पति संजय कुमार देव** **2. संजय देव उर्फ संजय कुमार देव पे0 जितेन्द्र प्रसाद देव** **3. सुमन देव उर्फ सुमन कुमार देव पे0 जितेन्द्र प्रसाद देव** **4. सुजीत देव उर्फ सुजीत कुमार देव पे0 जितेन्द्र प्रसाद देव** **सभी सा0 – थरबिट्टा, वार्ड नं0 11, थाना– किशनपुर, जिला–सुपौल.....आवेदकगण** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी** --- प्रार्थी अभियुक्तगण **1. अमिषा भारती 2. संजय देव उर्फ संजय कुमार देव 3. सुमन देव उर्फ सुमन कुमार देव 4. सुजीत देव उर्फ सुजीत कुमार देव** की ओर से किशनपुर थाना कांड सं0–242 / 2024 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह ने निवेदन किया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण को ग्रामीण राजनीति एवं जमीन जायदाद की दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा जमानत दिया गया है। प्रस्तुत कांड का पलटा मुकदमा किशनपुर थाना कांड सं0 241 / 2024 दर्ज है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि उनके विरुद्ध जमीनी विवाद को लेकर किशनपुर थाना कांड सं0 202 / 10 वो 286सी / 2022 सहित वर्तमान मुकदमा दर्ज है इसके अतिरिक्त प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद, सूचक रंजीत कुमार देव के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों सहित कुल 4 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 115, 118(1), 117(2), 74, 303(2), 351(2), 3(5) में दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि वो दिनांक 11 / 09 / 2024 बुधवार के समय करीब 7 बजे वह अपना दरवाजा साफ करवा रहे थे कि एकाएक अभियुक्तगण हरवे हथियार, तलवार लोहे का रॉड एवं लाठी से लैश होकर आये और गाली गलौज करने लगा जिसपर सूचक मना किया तो संजय देव लोहे का रॉड से जान मारने के नियत से उसके सिर पर चलाया जो उनके बांये कंधे पर लगा कंधा का हड्डी टूट गया। सुजीत देव अपने हाथ में लिए लोहे के रॉड से उसके सिर पर मारना चाहा जो उनके दाहिने आंख पर लगा, आंख में चोट आया आंख खराब हो गया व खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। सूचक को बचाने के लिए उसकी पत्नी अहिल्या देवी आई तो उसे भी सुमन देव झौटा पकड़कर जमीन पर गिरा और और फाईट मुक्का, लाठी से माकर बेहोश कर दिया और साड़ी ब्लाउज फाडकर अर्द्धनग्न कर दिया संजय देव सुमन के कान से सोने की बाली आठ आना कीमत करीब 30,000 / – रूपया का छीन लिया, अमिषा भारती आंगन में घुसकर उसकी भावो रंजना देवी को बांए की लाठी से अंधाधून्ध मारने लगा। रंजना देवी को बचाने के लिए भीम शंकर देव आया तो नामित सभी मुदालहगण एकजुट होकर लाठी से अंधाधून्ध हाथ, पैर, पीठ पर मारा जिससे वो बेहोश होकर गिर गया। सभी मिलकर घर में रखा बैग में 10,000 रूपया संजय उठाकर ले धमकी दिया की कोई कार्यवाही किया तो पुनः आकर जान से मार देंगे। ग्रामीणों के सहयोग से सूचक एवं उनके परिवार को किशनपुर अस्पताल भर्ती करवाया जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए ईलाज हेतु सदर अस्पताल सुपोल रेफर किया गया। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचक द्वारा प्रार्थी अभियुक्तों पर	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 418 / 2026
किशनपुर थाना कांड सं0– 242 / 2024

29/04/26 **लगातार**	सूचक एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ गाली–गलौज, मारपीट करने एवं जेवरात, रूपया वगैरह ले लेने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी के कंडिका 14, 15, 16 एवं 17 में साक्षीगण क्रमशः सत्यनारायण सादा, वासुदेव सादा, रामप्रसाद मुखिया एवं मो0 मोहित का बयान है इन्होंने अपने–अपने बयानों में दोनो पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद को लेकर गाली–गलौज मारपीट होने तथा मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को चोट लगने की बात बतायी है तथा इन साक्षियों ने जेवरात वगैरह लेने की बात का समर्थन नहीं किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 43 से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा कांड के अभियुक्तों को धारा 41(1) दं0प्र0सं0 के तहत नोटिश देकर उनको अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार नहीं किया गया है उन्हें बंधपत्र पर मुक्त किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी जख्मी को कोई विशिष्ट प्रकार का जख्म कारित नहीं पाया गया है तथा कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा आरोप पत्र पश्चात् प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान भी लिया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्त के जमानत आवेदन के अनुसार प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध इस मुकदमा के अलावे किशनपुर थाना कांड सं0 202 / 10 वो 286सी / 2022 दर्ज है इसके अतिरिक्त उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद जमीन विवाद से संबंधीत है तथा प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा भी दर्ज है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण **1. अमिषा भारती 2. संजय देव उर्फ संजय कुमार देव 3. सुमन देव उर्फ सुमन कुमार देव 4. सुजीत देव उर्फ सुजीत कुमार देव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्त की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्त को मो0 10,000 / – रूपये के समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधिन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः– 1. प्रार्थी अभियुक्त का एक जमानतदार उसके माता / पिता / नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय उसका बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगा। 3. प्रार्थी अभियुक्त वाद के विचारण में सहयोग करेगा। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	